न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 02/2017 दायर तारीख :– 04.01.2017

1. गोरधन
2. मूलचन्द

पुत्र भंवरा जाति गुर्जर निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर —– वादीगण

बनाम

1. भंवरा पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील विराटनगर

—– प्रतिवादीगण

3. बिड़दी
4. ज्याना
5. मन्नी
6. सन्ती

पुत्रियान भंवरा, जाति गुर्जर निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—– तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्व वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री मातादीन शर्मा, अधिवक्ता वादीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 18.04.2019

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा के साबिक खसरा नम्बर 98 मिन रकबा 3 बीघा 17 बिसवा, 310 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिसवा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिसवा का खातेदार मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2025–2028 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का पूर्वज भंवरा पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर रहा है। भंवरा पुत्र गंगाराम गुर्जर की मृत्यु बाद उसके वंशज वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण व उनके पूर्वज ने आराजी मुतनाजा की सिंचाई हेतु आराजी मुतनाजा में बोरिंग करवाकर डीजल ईंजन लगा रखा है तथा वरवक्त दावा दायरी गेहूँ व मटर की फसल काश्त कर रखी है। आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी संख्या 1 का कभी भी, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, बल्कि इस नाम का कोई व्यक्ति कुम्हार जाति से ग्राम हरिकिशनपुरा में नहीं हुआ है। राजस्व कर्मचारियों ने वरवक्त तैयार करने जमाबन्दी संवत् 2029–2032 आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 98/1 रकबा 3 बीघा 17 बिसवा, 310/2 रकबा 1 बीघा 16 बिसवा अंकित करते हुए वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज भंवरा पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी में अंकित कर दिया जो नितान्त गलत, गैरकानूनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

एवं वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के विपरीत होने से काबिल दुरूस्ती है। बिना सक्षम न्यायालय के आदेश उक्तानुसार खातेदारी परिवर्तन करने का अधिकार राजस्व कर्मचारियों को नहीं है। हाल भू–प्रबन्ध कार्यवाही में बिना अधिकार तरीके से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वज के हक हकूकों व खातेदारी अधिकारों के विपरीत किए गये परिवर्तन की पुनरावृति करते हुए हाल सैटलमेंट कार्यवाही में साबिक खसरा नम्बर 98/7 एवं 310/2 से बने नये नम्बर हाल खसरा नम्बर 116/0.34, 117/0.01, 118/0.60, 412/0.49 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दी गयी, जो काबिल दुरूस्ती है। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 116, 117, 118 व 412 कुल किता 4 रकबा 1.44 हैक्टेयर की खातेदारी नाजायज रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर देने से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग पर किसी प्रकार का कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है, वल्कि बदस्तूर काबिज रहकर सिंचित रूप से काश्त करते आ रहे है तथा वर्तमान में काबिज काश्त है। अतः निवेदन है कि ग्राम किशनपुरा के हाल खसरा नम्बर 116, 117, 118, 412 किता 4 कुल रकबा 1.44 हैक्टेयर का वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम आराजी मुतनाजा की खातेदारी से हजफ कर वादीगण के नाम खातेदारी अंकित की जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण को आराजी से जबरन बेदखल नहीं करें, उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।
3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत् 2025–2028, नकल जमाबन्दी संवत् 2028–2032, नकल मिलान क्षेत्रफल, नकल जमाबन्दी संवत् 2072–2075 आदि पेश किए गये।
4. प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पालड़ी में पेश हुआ तथा प्रकरण खातेदारी दुरूस्ती से होने पर तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक मौका जांच रिपोर्ट ग्राम हरिकिशनपुरा में भंवरा पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार का कोई व्यक्ति नहीं था। भंवरा पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर था, जिसकी मृत्यु हो चुकी तथा उसके वारिस गोरधन, फूलचन्द पिता भंवरा, बिड़दी, ज्याना, मन्नी, सन्ती पुत्रियान भंवरा है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट पर सरपंच ग्राम पंचायत पालडी एवं अन्य गवाहान के हस्ताक्षर मौजूद है।
5. बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।
6. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम हरिकिशनपुरा के साबिक खसरा नम्बर 98 मिन रकबा 3 बीघा 17 बिसवा, 310

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

मिन रकबा 1 बीघा 16 बिसवा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिसवा का खातेदार मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2025–2028 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का पूर्वज भंवरा पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर रहा है। वरवक्त तैयार करने जमाबन्दी संवत् 2029–2032 आराजी मुतनाजा के बटा नम्बर 98/7 रकबा 3 बीघा 17 बिसवा, 310/2 रकबा 1 बीघा 16 बिसवा अंकित करते हुए वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज भंवरा पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 का नाम खातेदारी में अंकित कर दिया तथा हाल भू–प्रबन्ध कार्यवाही में बिना अधिकार तरीके से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण तथा उनके पूर्वज के हक हकूकों व खातेदारी अधिकारों के विपरीत किए गये परिवर्तन की पुनरावृति करते हुए हाल सैटलमेंट कार्यवाही में साबिक खसरा नम्बर 98/7 एवं 310/2 से बने नये नम्बर हाल खसरा नम्बर 116/0.34, 117/0.01, 118/0.60, 412/0.49 हैक्टेयर की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर दी गयी। यह भी कि प्रकरण में तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा मुताबिक मौका जांच रिपोर्ट ग्राम हरिकिशनपुरा में भंवरा पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार का कोई व्यक्ति नहीं रहा है। भंवरा पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर था, जिसकी मृत्यु हो चुकी तथा उसके वारिस गोरधन, फूलचन्द पिता भंवरा, बिड़दी, ज्याना, मन्नी, सन्ती पुत्रियान भंवरा है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट पर सरपंच ग्राम पंचायत पालडी एवं अन्य गवाहान के हस्ताक्षर मौजूद है। बिना सक्षम न्यायालय के आदेश उक्तानुसार खातेदारी परिवर्तन करने का अधिकार राजस्व कर्मचारियों को नहीं है। आराजी मुतनाजा खसरा नम्बर 116, 117, 118 व 412 कुल किता 4 रकबा 1.44 हैक्टेयर की खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम अंकित कर देने से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त तथा उपयोग–उपभोग पर किसी प्रकार का कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है। प्रतिवादी संख्या 1 का नाम गलत, गैरकानूनी एवं वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी अधिकारों के विपरीत होने से काबिल दुरूस्ती पाता हूँ।

7. वस्तुतः वाके ग्राम हरिकिशनपुरा के साबिक खसरा नम्बर 98 मिन रकबा 3 बीघा 17 बिसवा, 310 मिन रकबा 1 बीघा 16 बिसवा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा 13 बिसवा का खातेदार मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2025–2028 वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण का पूर्वज भंवरा पुत्र गंगाराम जाति गुर्जर रहा है तथा ग्राम हरिकिशनपुरा में भंवरा पुत्र गंगाराम जाति कुम्हार नाम को कोई व्यक्ति नहीं रहा है। अतः साबिक खसरा नम्बर 98/7, 310/2 तथा हाल खसरा नम्बर 116, 117, 118, 412 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम गलत रूप से दर्ज खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 का [illegible] कर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को आराजी [illegible] पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बिराटनगर (जयपुर)

Scanned by CamScanner

आदेश

वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। वाके ग्राम हरिकिशनपुरा के साबिक खसरा नम्बर 98/7 एवं 310/2 से बने हाल खसरा नम्बर 116/0.34, 117/0.01, 118/0.60, 412/0.49 हैक्टेयर की खातेदारी से प्रतिवादी संख्या 1 भंवरा पुत्र गंगाराम कौम कुम्हार का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिए जाते है तथा वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 18.04.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) राजस्थान

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner